न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 526 सन 2018
अनवान :–

1. शकुन्तला पत्नी सुनील कुमार जाति जाअ निवासी अरडकी तहसील नोहर।

बनाम **वादीया**

1. हरदेवाराम पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी अरउकी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. सुनीता पत्नी सन्दीप कुमार जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर। प्रतिवादीगण
4. प्रियंका पत्नी बलवानसिह जाति जाट निवासी अरडकी तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 31/12/2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 361/308 के खसरा न0 34/1 की 0.5310हैक , खसरा न0 35 की 5.779हैक खसरा न0 58 की 7.8910हैक कुल 14.2010हैक भूमि स्थित है जो पूर्व में चानणराम के नाम से दर्ज थी जो प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है जिसका देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीया वं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 का भी हक हिस्सा है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तू राजस्व रिकार्ड में भूमि धरू बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिससे वादीया के हकों का हनन होता है वादीया अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ,4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ,3, 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी एवं प्रतिवादी 1 ,3 , 4 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चानणराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है वादीया का कथन है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार कब्जा काश्त में चली आ रही है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 3 ,4 के पास रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 361/308 के खसरा न0 34/1 की 0.5310हैक व खसरा न0 35 की 5.779हैक कुल 6.310हैक भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 361/308 के खसरा न0 58 की 7.8910हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official